रेशम विभाग

गतिविधियों से संबंधित सामान्य जानकारी, जिला बैतूल

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजनान्तर्गत जिले में मलबरी रेशम उत्पादन किसानों को बेकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराये जाते है तथा नये किसानों को रेशम उत्पादन के लिये आवश्यक अद्योसंरचना विकास के लिये आवश्यक सहायता केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है। नये किसानों के लिये निम्न मदों में सहायता उपलब्ध कराई जाती है –

1. कृमिपालन गृह निर्माण 2. बायवोल्टाइन उपकरण
3. सिंचाई सुविधा 4. निःशुल्क शहतूत पौधरोपण

1. बेंकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज में कृषकों को प्रशिक्षण एवं एस्पोजर भ्रमण व उच्च गुणवत्ता युक्त चाकी प्रदाय करना।
2. कृषकों को विसंक्रमण प्रदाय किया जाना।
3. कृषको द्वारा उत्पाद के लिये विपणन सहायता प्रदान करना।
4. कृषकों को उपरोक्त सुविधायें प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिये अद्योसंरचना विकास मे नये चाकी केन्द्र, इन्क्यूवेशन इकाई, धागाकरण इकाई आदि की स्थापना किया जाना इत्यादि।

जिले के 8 विकासखण्ड के 51 ग्रामों में कृषको की निजी भूमि में 217 एकड़ में शहतुत पौधरोपण किया जाकर रेशम कृमिपालन कार्य किया जा रहा है।

- रेशम योजनायें पूर्व में वस्तुतः 2002–03 तक शासकीय रेशम केन्द्रों तक सीमित।
- वर्ष 2003–04 से शहतुती रेशम विस्तार योजना प्रारंभ वर्तमान में 217 एकड़ में मलबरी पौधरोपण।
- उपलब्ध अद्योसंरचना की औसत आयु 20 वर्ष।
- वर्ष 2002–03 में शहतुती रेशम कोया उत्पादन 150 किग्रा. से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 30,000 किग्रा.।
- वर्ष 2011–12 में का कोया उत्पादन लक्ष्य 54000 किलो।
- औसत आय 25000 प्रति एकड़ अधिकतम 40000 प्रति एकड़।
- सतत् रोजगार उपलब्ध कराना।

रेशम योजनाओं के लिये अनुदान सहायता

शहतुत कृषि अपनाने के लिये एक एकड़/एक हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु प्रारंभिक खर्च –

क्रं.	कार्य विवरण	लागत (रू.में)		लागत पूर्ती (रू.में)			
				कृषक द्वारा		शासकीय सहायता	
		1 एकड़	1हेक्ट.	1 एकड़	1हेक्ट.	1 एकड़	1हेक्ट.
1	शहतुत पौधे की कीमत (पौधे के रूप में)	5450	13625	–	–	5450	13625
2.	शहतुत पौधरोपण रखरखाव प्रथम वर्ष	14000	35000	14000	35000	–	–
3.	कृमिपालन भवन	100000	150000	50000	75000	50000	75000
4.	कृमिपालन उपकरण	40000	40000	10000	10000	30000	30000
5.	फैंसिंग	10000	25000	10000	25000	–	–
	योग –	169450	263625	84000	145000	85450	118625
6.	ड्रिप सिंचाई	20000	50000	5000	12500	15000	37500

टसर रेशम विकास एवं विस्तार

टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजनान्तर्गत जिलें में नैसर्गिक रूप से साजा एवं अर्जुन वृक्षों का सर्वेक्षण चयन, तथा हितग्राहियों को साज अर्जुन से आच्छादित वन क्षेत्रों का संधारण एवं टसर कृमियों का कृमिपालन के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जात है। टसर क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये टसर ग्रेनेज की स्थापना टसर अण्डों का उत्पादन एवं टसर कोसों का भण्डारण हेतु क्षमता वृद्धि, नेसर्गिक केम्पों का आयोजन कर नैसर्गिक कोसा उत्पादन मे वृद्धि करना, उपलब्ध पीपीसी केन्दों पर पौधरोपण संधारण व नवीन साज अर्जुन के पौधों का रोपण कर नये क्षेत्र तैयार करना, तथा हितग्राहियों को टसर कृमियों के अण्डे सबसिडाइज्ड मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा उनके द्वारा उत्पादित टसर कोसाफलों का विपणन व उत्पादित टसर कोसा फलों से रेशम धागारण कार्य का स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना आदि शामिल है।

- वर्ष 2006–07 तक जिला टसर मानचित्र पर नही
- वर्ष 2007–08 में जिला में प्रथम बार टसर गतिविधि को प्रांरभ किया गया।
- वर्ष 2007–08 में 80 परिवारों को जोड़ा गया तथा 5.18 लाख टसर कोषा उत्पादित किया।
- वर्ष 2008–09 में 15.98 लाख कोषा उत्पादन
- वर्ष 2009–10 में 250 परिवार को जोड़ा गया। तथा 18 लाख कोषा उत्पादित किया।
- वर्ष 2010–11 में 36 लाख कोषा उत्पादित किया।

इरी रेशम विकास एवं विस्तार

ईरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत जिलें में एस.जी.एस.वाय. (विशेष परियोजना) वर्ष 2008–09 से प्रारंभ। वर्ष 2009–10 में 145 एकड़ में, वर्ष 2010–11 में 200 एकड़ एवं वर्ष 2011–12 में 150 एकड़ में अरण्डी की बुआई कर रेशम कृमि पालन कार्य किया गया।

वर्ष वार मलबरी कोया उत्पादन लक्ष्य एवं उत्पादन की जानकारी –

क्रं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2007–08	20000 किग्रा.	20370 किग्रा.
2.	2008–09	37700 किग्रा.	20810 किग्रा.
3.	2009–10	54000 किग्रा.	32400 किग्रा.
4.	2010–11	32000 किग्रा.	29700 किग्रा.
5.	2011–12	54000 किग्रा.	

टसर रेशम (वन्या रेशम) कोसा उत्पादन स्वरोजगार योजना

टसर रेशम क्या है ?

वन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राथमिक टसर खाद्य पौधे मुख्यतः साज अर्जुन के पौधों/वृक्षों की पत्तियों को जंगल में ही रेशम कृमियों को चराकर कोसा (टसर ककून) उत्पादन का कार्य टसर रेशम कृमि पालन के अन्तर्गत आता है। टसर रेशम कृमि साज अर्जुन के अतिरिक्त लेंडिया, सिद्धा, बेर, साल, जामुन आदि (लगभग 20 टसर सेकेण्डरी फूड प्लांट) वृक्षों की पत्तियां भी खाता है।

टसर रेशम कृमिपालन क्यों करें ?

वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूरी की उपलब्धता न्यूनतम रहती है जिसके कारण ग्रामीणों के पास कोई क़ार्य नहीं रहता है ऐसे समय में टसर रेशम कृमिपालन कार्य उनकी आय का जरिया हो सकता है, साथ में गांवों में ही उपलब्ध साज/अर्जुन के पोधों पर टसर रेशम कृमिपालन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। यह कार्य अत्यंत सरल तथा महिलाऐं भी कर सकती हैं। इस कार्य में रेशम विभाग तथा म. प्र. सिल्क फेंडरेशन कई तरह की सुविधायें प्रदान करता है। जिनका विवरण दिया गया है। इस कार्य से उत्पादित टसर कोसा फलों का म.प्र. सिल्क फेडरेशन द्वारा शतप्रतिशत क्रय किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक फसल में ग्राम **सुखतवा (तह. इटारसी) के कृषक श्री नन्दराम द्वारा 18000 रुपये वर्ष 2007–08 में कंमाये। 12000 रुपये श्री नन्हे लोहार ग्राम सातपुरा (सिवनी मालवा) द्वारा एवं 16000 रुपये एवं श्री बृजलाल कोरकू ग्राम पतलई तहसील (सिवनी मालवा) द्वारा वर्ष 2006–07 में इस कार्य से कमाये।**

टसर रेशम कृमिपालन कैसे करना है ?

टसर रेशम कृमिपालन दो तरह से किया जाता है,

1. छोटे वृक्षों पर कृमिपालन।
2. बड़े वृक्षों पर (नैसर्गिक) कृमिपालन।

1. छोटे वृक्षों पर कृमिपालन

सबसे पहले लगभग 2000 साज अर्जुन के 3 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों का चयन जिनकी उचाई 10–15 फीट से अधिक न हो कर लेवें। तत्पश्चात पौधों के आसपास की कटीली झाड़ियों एवं घिरिया के पौधों को जो कि विषैला होता हैं, उन्हें मई के प्रथम सप्ताह तक साफ कर लेना चाहिये। पौधों के तनों पर जमीन से तीन फुट उचाई तक कोई भी शाखा नहीं होनी चाहिए ।

2. बड़े वृक्षों पर (नैसर्गिक) कृमिपालन

लगभग 100 साज/अर्जुन के झाड़ों का चयन कर यदि उन झाड़ों में किन्हीं झाड़ों पर लाल चींटे या मधुमक्खी के छत्ते हैं तो उन्हें हटा दें। वृक्षों के तनों पर तीन फीट की उंचाई तक फोलीनेक्स अथवा भिलमा तेल की पुताई कर देना चाहिए।

टसर रेशम कृमिपालन कब करना हैं ?

होशंगाबाद, सिहोर, छिन्दवाड़ा, बैतूल एवं हरदा जिलों के वातावरण के आधार पर टसर रेशम कृमिपालन वर्ष में 2 बार किया जा सकता हैं ।

फसल	फसल प्रारम्भ	कुल अवधि
प्रथम फसल (बीज फसल)	प्रतिवर्ष 5 से 15 जुलाई (के मध्य)	कुल अवधि 45 दिन
द्वितीय फसल (व्यावसायिक फसल)	प्रतिवर्ष 5 से 15 सितम्बर (के मध्य)	55 दिन

टसर रेशम के लाभ :-

इस कार्य को भूमिहीन एवं कोई भी ग्रामीण कृषक भाई जिसको अपनी आय बढ़ाना है आसानी से कर सकता है। इस कार्य में बूढ़े, महिला एवं बच्चे सभी सहयोग कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार की मशीन, विद्युत उर्जा एवं

अधिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये श्रम आधारित अधिक आय देने वाला वन आधारित उद्योग है। टसर रेशम कृमिपालन से एक कृषक परिवार मात्र 300 रुपये के टसर रेशम बीज (200 स्वस्थ समूह वजन 400 ग्राम) रेशम विभाग से न्यूनतम दर पर प्राप्त कर सकता है। टसर कृमिपालन कार्य में रेशम कृमियों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पक्षियों से रक्षा करनी होती है। एक फसल पूर्ण होने में 45 से 55 दिन लगते हैं। जिसमें 5000 से 10000 के बीच शुद्ध आर्थिक लाभ लिया जा सकता है।

200 स्वस्थ समूह कृमिपालन की औसत आर्थिकी (2000 छोटे झाड़ों पर) व्यय :-

क्र	विवरण	मात्रा	दर रुपये	राशि
1	स्वस्थ समूह	200	150/100 स्व.समू.	300.00
2	पौध/कीट सुरक्षा एक मुस्त		300.00	
3	रसायनिक खाद	यूरिया 68 कि. सिं.सु.फास. 92 कि. पोटाश 24 कि.	5.00 3.20 6.00	340.00 295.00 144.00
4	गोबर खाद	2000 कि.	0.60	1200.00
5	विविध व्यय			400.00
	योग			2979.00

आय :-

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	टसर ककून अच्छा	10000	840 रू. हजार	8400.00
2	टसर ककून मोमरा	1000	145 रू. हजार	145.00
3	टसर ककून कट	250	100 रू. हजार	25.00
	योग			8570.00
	व्यय			2979.00
	शुद्ध आय			5591.00

शासन द्वारा दी जाने वाली सहायताएँ :-

1. प्रशिक्षण :-

.शासन द्वारा निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण कृषकों को प्रदाय किया जाता है एवं समय समय पर कृमि पालन स्थलों एवं राज्य के बाहर भी शासकीय व्यय पर अध्ययन भ्रमण कराया जाता है।

1. कृषक की आवश्यकता अनुसार शासन द्वारा रियायती दर 1.50 रुपये प्रति स्वस्थ समूह के मान से टसर रेशम बीज प्रदाय किये जाते हैं।
2. कृषक द्वारा उत्पादित समस्त टसर ककून म. प्र. सिल्क फेडरेशन द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाता है। टसर ककून का भुगतान मूल्य निर्धारण के एवं ककून गणना के पश्चात तत्काल किया जाता है।
3. कृषकों की ककून दरें ककून की गुणवत्ता पर निर्भर हैं।

विपणन :-

म.प्र. सिल्क फेडरेशन की टसर ककून क्रय दरें वर्तमान में निम्नानुसार हैं :-

(अ) बीज ककून :-

ग्रेड	औसत शैल वेट	रू. प्रति हजार
ए	1.4 ग्राम से अधिक	965.00
बी	1.2 से 1.39 ग्राम तक	890.00
सी	0.85 से 1.19 ग्राम तक	750.00

(ब) व्यावसायिक ककून :-

ग्रेड	औसत शैल वेट	रू. प्रति हजार
ए	1.4 ग्राम से अधिक	840.00
बी	1.2 से 1.39 ग्राम तक	665.00
सी	0.85 से 1.19 ग्राम तक	555.00
डी मोमरा	0.85 ग्राम से कम तक	145.00
चूहा कट		100.00

1. बीज ककून बीमारी रहित कृमिपालन क्षेत्र से ही क्रय किया जायेगा।
2. कृमिपालन के दौरान उन्नत तकनीकी मानकों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य हैं।

पोली (पीयर्स) ककून :-

ग्रेड	औसत शैल वेट	रू. प्रति हजार
ए	1.25 ग्राम से अधिक	335.00
बी	0.85 से 1.24 ग्राम तक	250.00
सी	0.85 ग्राम से कम	145.00

उपरोक्त क्रय दरें समय समय पर परिवर्तनशील हैं। टसर कोसा उत्पादकों को ककून दरें स्वयं निकालने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह अपने माल की स्वयं कीमत निकाल सकें।

योजनाएँ :-

केन्द्र शासन, राज्य शासन व हितग्राही अंश के साथ उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) योजना के अन्तर्गत निम्न सहायता प्रदान की जाती है।

1. व्यावसायिक टसर खाद्य पौध रोपण, संधारण, चाकी गार्डन के रखरखाव एवं टसर हेतु शासकीय सहायता :-

विवरण	इकाई	लागत प्रतिहेक्टे.	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	रिमार्क
1. निजी भूमि/वन भूमि में व्यवसायिक टसर खाद्य पौधरोपण/ चाकी गार्डन संधारण (दसवी पंचवर्षीय योजनानुरुप)/वन क्षेत्र/ब्लाक प्लान्टेशन में पौधरोपण संधारण (दसवीं पंच वर्षीय योजनानुरुप)	हेक्टे.	16000	9600	3200	3200	पौधरोपण 2.4 X 2.4 मी. (8' x 8') स्पेसिंग में करना है एक हेक्टेयर में 1736 पौधे होना चाहिए। **संलग्नक** (एक अनुसार)

✓ (अ) व्यवसायिक टसर खाद्य पौध रोपण योजना का विस्तृत विवरण :-

क्र.	विवरण	राशि
1	पौधों की कीमत	3400.00
2	भूमि विकास	6400.00
3	रसायनिक खाद एवं गोबर खाद की कीमत	3800.00
4	गुड़ाई कार्य	1200.00
5	पौध रोपण एवं संधारण	1200.00
	योग	**16000.00**

(ब) टसर कृमि खाद्य पौधरोपण में सहायता का विवरण :-

(इकाई : एक हेक्टे. स्पेसिंग : (8' x 8') पौधों की संख्या 1910)

संलग्नक (एक)

क्र.	विवरण	इकाई	इनपुट	दर(रु.)	राशि (रु.)
1	पौधों की कीमत	संख्या	1910	2	3820
2	लेण्ड. हस्वेण्ड्री (फार्मिंग)	घनफुट	1910	0.75	1455
3	पशु अवरोधक खाई* (4'x3')	मीटर	400 मी.	10	4000
4	गड्डा खुदाई (1'x1'x1')	मानव दिवस	35	80	2800
5	गड्डा भराई एवं परिवहन	मानव दिवस	20	80	1600
6	गोबर खाद	किलो ग्राम	1736कि.	0.80	1379
7	दीमक नाशक हेतु	एक मुस्त			150
8	नर्सरी से पौधों का परिवहन	मानव दिवस	5	80	400
9	निंदाई गुड़ाई	मानव दिवस	5	80	400
	योग				**15991**
*	**पशु अवरोधक खाई जहाँ आवश्यक हो**			or say	**16000**

2. टसर ककून भंडार गृह निर्माण के लिए सहायता :-

विवरण	इकाई	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही	कुल अंश	रिमार्क
1. ककून भंडार गृह निर्माण के लिए सहायता	संख्या	50000	25000	12500	12500	50000	मिट्टी की दिवालों का घर 10'x25'x10' 50000 हजार टसर ककून भंडारण की क्षमता

प्रायवेट ग्रेनेज निर्माण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता :-

इस गतिविधि द्वारा भी कृषक 20 दिवस में लगभग 10 से 15 हजार रुपये की शुद्ध आय प्राप्त कर सकता हैं। प्राइवेट ग्रेन्युअर द्वारा उत्पादित टसर स्वस्थ समूह के विपणन में रेशम विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जावेगा। वर्ष में दो बार जुलाई एवं सिंतम्बर माह में उक्त गतिविधि से आय अर्जित कर सकता है।

सी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में टसर बीज उत्पादकों को सहायता (क्षमता 5000 स्वस्थ समूह/आप्रेशन)

क्र.	विवरण	इकाई	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	रिमार्क
1	टसर बीज उत्पादक	संख्या	100000	60000	20000	20000	(संलग्नक दो के अनुसार)

(संलग्न दो)

(संलग्न दो)

क्र.	विवरण	इकाई	इनपुट	दर	राशि
ए	**भवन निर्माण**				
1	ग्रेनेज भवन (25'x18' चारो ओर बरामदा सहित)	संख्या	1	50000.00	50000.00
	योग				**50000.00**
बी.	**ग्रेनेज उपकरण**				
2	माइक्रोस्कोप	संख्या	2	4000.00	8000.00
3	अण्डे देने के लिए बक्से/ नायलोन नेट की थैलियां	संख्या	3500	2.00	7000.00
4	अण्डे देने का केबिनेट	संख्या	1	1500.00	1500.00
5	लकड़ी की टेबिल	संख्या	1	1000.00	1000.00
6	स्टूल	संख्या	2	200.00	400.00
7	गटूर स्प्रेयर	संख्या	1	2000.00	2000.00
8	प्लास्टिक टंकी	संख्या	2	200.00	400.00
9	प्लास्टिक वकेट	संख्या	2	250.00	500.00
10	प्लास्टिक टब	संख्या	2	200.00	400.00
11	डिसइनफेक्शन मास्क	संख्या	2	400.00	800.00
12	मोर्टर और पेस्टल	संख्या	10	200.00	2000.00
	योग				**24000.00**
सी	**विविध**				
13	रसायन (फार्मेल्डीहाइड्, KOH, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि)	एक मुस्त			300.00
14	डिट्र्जेन्ट पाउडर	कि.ग्रा	2	50.00	100.00
15	साबुन	संख्या	10	10.00	100.00
16	स्लाइड, कवरस्लिप, ब्लाटिंग पेपर	एक मुस्त			450.00
17	चूना	कि.ग्रा.	10	5.00	50.00
	योग				**1000.00**
डी	**चक्रीय राशि एवं बीमा**				
18	सीड ककून की कीमत	एक मुस्त			20000.00
19	इंश्योरेन्स कवरेज				5000.00
	योग				**25000.00**
	महायोग				**100000.00**

उच्च गुणवत्ता का कोसा उत्पादन करने के लिए जानकारी
(छोटे झाड़ों के लिए) (2000 पौधे प्रति हैक्टेयर)

क्र.	गतिविधि का नाम	विवरण एवं नार्मस्	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य समाप्ति का दिनांक	टीप
1.	प्रूनिंग	लाईट प्रूनिंग	फरवरी द्वितीय सप्ताह	फरवरी अंतिम सप्ताह	एक वर्ष छोड़कर
2.	अन्य झाड़ियों की सफाई	कटीली एवं घिरिया को काटें	मार्च प्रथम सप्ताह	मार्च अंतिम सप्ताह	प्रति वर्ष
3.	गाल रोकने हेतु स्प्रे	एण्डोसल्फान का स्प्रे 2 मि.ली./लीटर	मार्च प्रथम सप्ताह	मार्च अंतिम सप्ताह	नई कोपल आते ही एवं 15–15 दिन के अंतराल में 2 बार
4.	यूरिया स्प्रे 1.5 % (8 x 8) फुट के पौधरोपण में 20 कि. यूरिया प्रति हैक्टेयर	15 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में पांच पौधे पर छिड़कावकरें	जून द्वितीय सप्ताह	जून अंतिम सप्ताह	कृमिपालन के 20 दिन पूर्व पत्तियों पर छिड़काव करें।
5.	तना छेदक रोकने का प्रयास (चूना + मिथाइल पेराथियान (फोलीनेक्स) पेराथियान 2 % डी. पी.) का लेप	चूना चार भाग एवं एक भाग फोलीनेक्स के घोल से पुताई करें रोग ग्रस्त भाग को जमीन से 3 फुट ऊंर्चा तक पुताई करें।	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर अक्टूबर में साज/अर्जुन के पौधों के तनों पर छेद एवं उनसे गोंद जैसा पदार्थ निकलता दिखाई देने पर रोकथाम के उपाय करना है।
6.	गोबर खाद	1 किलो ग्राम प्रति पौधा	जून द्वितीय सप्ताह	जून अंतिम सप्ताह	चाकी प्लांट में 2 किलो ग्राम प्रति पौधा डालें।
7.	रसायनिक खाद	यूरिया 68 किलो ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 92 किलो ग्राम पोटाश 24 कि.	प्रथम डोज जून अंतिम सप्ताह द्वितीय डोज अगस्त द्वितीय सप्ताह		प्रतिपौधा यूरिया 34 ग्रा. सिंगल ग्राम सु.फा. 46 म्यु. आ.पो. 12 ग्रा. जून एवं अगस्त माह में केवल यूरिया दो बार डालें।

प्रत्येक साज/अर्जुन पौधे के नीचे थाले बनाकर उसमें 10 ग्राम ब्लीचिंग + 90 ग्राम चूना का पावडर मिलाकर मिश्रण का आसपास छिड़काव कर कृमि पालन कार्य करें।

टसर कृमि के शत्रु जिनसे रक्षा करनी है -

पेस्ट – उजीफ्लाई, पीली बर्र, सुजिया, रामघोड़ा, लालचीटा आदि से सुरक्षा करनी होती है। इसके लिये 30 X 40 X 10 फीट के नायलोन नेट भी शासन द्वारा प्रदाय किये जाते हैं जिनके द्वारा इनसे सुरक्षा की जा सकती है।

प्रीडेटर्स – पक्षी, बाज, बंदर, सांप, गिलहरी, कौआ आदि से उनको भगाकर एवं प्रशिक्षण में बताई गई विधियों द्वारा सुरक्षा करनी होती है।

विशेष सावधानियाँ –

1. टसर खाद्य पौधों से अन्य वृक्षों की शाखाओं को अलग कर देवें।
2. जिन टसर खाद्य पौधों के नीचे पानी भरा हो वहां कृमि पालन न करें।
3. पौधे के नीचे कृमियों द्वारा उत्सर्जित विष्ठा (लिटर) एवं मृत कृमियों को गाढ़ देवें।
4. दूसरी अवस्था पश्चात कृमियों को ट्रांसफर करते समय बुझे हुए चूने के पावडर या टसर कीट औषधि (टी. के. ओ.) का छिड़काव करें जिससे कृमि स्वस्थ रहते हैं।
5. प्रथम फसल में टसर कृमियों को पौधे की नीचे वाली शाखाओं पर ट्रांसफर करें एवं ककून बनाने वाले कृमियों को अधिक पत्तियों वाले खाद्य पौधों पर ही रखें।
6. कृमियों को मोल्ट (बुखार) एवं स्पिनिंग (ककून निर्माण) के समय न छुऐं न ही ट्रांसफर करें।
7. ककून को फैलाकर रखें एवं खराब ककून अलग रखें।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं :-

जिन कृषको के ग्राम की वन सुरक्षा समिति में साज अर्जुन के पौधे या वृक्ष उपलब्ध हो उसकी जानकारी क्षेत्र में पदस्थ रेशम अधिकारी को देकर उनसे टसर रेशम उत्पादन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रेशम अधिकारी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर कृमिपालन की क्षमता का आकलन कर टसर रेशम कृमिपालन की क्रियाविधि से ग्रामीणों के साथ तथा वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ चर्चा कर अगामी रुपरेखा तैयार करेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों का चयन कर प्रशिक्षण अध्यन भ्रमण आदि आयोजित करायेगा। कृषक/गांववासी अपना नाम क्षेत्र के रेशम अधिकारी को दर्ज करायेगे। यदि कृषक वन सुरक्षा समिति के सदस्य हैं तो वह वन समिति के माध्यम से भी यह कार्य कर सकते हैं वन समिति को रेशम विभाग तथा वन विभाग के साथ सयुक्त करारनामा करना होगा। करारनामें की शर्ते विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती हैं। इच्छुक टसर कृमि पालकों के 15 से 20 सदस्यों के स्वयं सहायता समूह गठित कर सकते हैं, तथा समूह कां एक संयुक्त खाता बैंक में खोला जावेगा जिसकां संचालन समूह के अध्यक्ष एव क्षेत्र में पदस्थ रेशम अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जावेगा। रेशम विभाग एवं वन विभाग द्वारा योजनान्तर्गत जो भी आर्थिक सहायता दी जावेगी वो सीधे समूह के खाते में जमा करायी जावेगी। समूह बैठक में रेशम अधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारी के सहयोग से योजनाओं में प्राप्त राशि की एक कार्य योजना बनायेगा जिसका अनुमोदन जिला अधिकारी रेशम से प्राप्त कर क्रियान्वयन किया जावेगा।

टसर गतिविधियों के प्रदर्शन केन्द्र :-

तहसील	बीज केन्द्र/धागाकरण इकाई
पिपरिया	शास. कोसा बीज केन्द्र, डोकरीखेड़ा
	शास. कोसा बीज केन्द्र, खारी
	टसर धागाकरण इकाई, छिर्रई
सोहागपुर	शास. कोसा बीज केन्द्र, सिटियागोहना
इटारसी	शास. कोसा बीज केन्द्र, सुखतवा
	टसर धागाकरण इकाई, सुखतवा
होशंगाबाद	शास. पौधरोपण, मालाखेड़ी
	टसर रेशम धागाकरण इकाई, मालाखेड़ी

रेशम विभाग

शहतूती रेशम उद्योग क्यों और कैसे ?

- शहतूती रेशम उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है।
- शहतूती रेशम कृषकों के लिए नगदी फसल है।
- शहतूती रेशम उद्योग से अधिकतम रू. 3.00 लाख तक की सकल आय एक एकड़ से एक वर्ष में अर्जित की जा सकती है।
- शहतूती रेशम से प्रति दो माह के अन्तराल से फसल लेकर आय प्राप्त होती है।
- रेशम की फसल पर प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान की सम्भावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि रेशम कृमिपालन घर के अन्दर किया जाता है।
- एक बार शहतूत के पौधे लगाने पर 15 वर्ष तक पत्ती का उत्पादन किया जा सकता है।
- कृषकों के लिए बेकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध हैं।
- उत्पाद के विपणन की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है।
- कृषकों की आवश्यकतानुसार तकनीकि मार्गदर्शन तथा शहतूत एवं रेशम कृमि की उन्नत प्रजाति उपलब्ध हैं।
- कृषकों को प्रशिक्षण के लिए पचमढ़ी एवं होशंगाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है।
- शहतूत रोपण के छः से सात माह के पश्चात आय प्रारंभ हो जाती है। अर्थात गेस्टेशन (Gestation Period) समय कम है।
- जिले में शहतूत एवं रेशम कृमियों की उन्नत प्रजातियाँ उपलब्ध हैं।

रेशम उद्योग कैसे अपना सकते हैं ?

- स्वयं की निजी भूमि 12 माही सिंचाई स्त्रोत एवं सुविधा होना अनिवार्य है।
- निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन एवं भूमि का खसरा नक्शा की नवीन कापी तथा अनुबंध अपने निकटस्थ रेशम विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- भूमि के सर्वेक्षण पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर तत्काल चयन कर अगली कार्यवाही की जाती है।

शहतूत पौध रोपण कैसे करें ?

- भूमि की गहरी जुताई करना चाहिए।
- 8 ट्रॉली (800 घनफीट) गोबर की खाद प्रति एकड़ के मान से उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- मशीनीकृत खेती के लिए 3.5' x 3.5' & 3' x 2' x 5' का अन्तरण।
- पौधरोपण माह जुलाई अथवा (काली मिट्टी में) नवम्बर दिसम्बर।
- प्रथम वर्ष रसायनिक खाद - 20 किलोग्राम नाईट्रोजन, 20 किलोग्राम सछपर फास्फेट, 20 किलोग्राम पोटाश दो डोज में उपयोग करना है (प्रति एकड़ के मान से)।
- पौधे प्राप्ति के पश्चात् दो दिवस में पौधरोपण पूर्ण करना नितांत आवश्यक है।
- शहतूत पौधरोपण को खरपतवार से मुक्त रखना। सिंचाई निश्चित अंतराल से करें।

द्वितीय वर्ष में उद्यान कार्यक्रम तथा कार्बनिक व रसायनिक खाद की मात्रा

द्वितीय वर्ष से वर्ष में चार पांच फसलें ली जा सकती हैं। प्रति फसल 0 से 70 दिन का कार्यक्रम अनुपालन करना आवश्यक है जो निम्नानुसार है -

कार्य दिवस	कार्य विवरण
0 दिवस	प्रूनिंग
5 वे दिवस	क्रासवाइस हल बक्खर / निंदाई
7 वे दिवस	पौधों के आस-पास गुड़ाई कार्य
10 वे दिवस	गोबर खाद 400 घनफुट /4 ट्राली का उपयोग
20 वे दिवस	रसायनिक खाद का उपयोग -
	अमोनियम सल्फेट - 140 कि.ग्रा प्रति एकड़ / प्रति डोज
	सुपर फास्फेट - 70 कि.ग्रा प्रति एकड़ / प्रति डोज
	पोटाश - 19 कि.ग्रा प्रति एकड़ / प्रति डोज
	सिंचाई कार्य -
	रेतीली भूमि में 7 दिवस के अन्तराल से सिंचाई करें
	काली भूमि में 10 दिवस के अन्तराल से सिंचाई करें
45 वे दिवस	कृमिपालन कार्य प्रारंभ (फसल प्रारम्भ)
70 वे दिवस	कृमिपालन कार्य पूर्ण

कृमि पालन उपकरण (उन्नत चंद्रिकाओं/फार्म उपकरण)

बायवोल्टाइन कृमिपालक :-

क्र.	कार्य विवरण	कीमत (रू. में)	
		250 स्व. समूह	150 स्व. समूह
1.	पावर स्प्रेयर, गटूर स्पेयर	6000	1500
2.	फुलेमगन	1000	1000
3.	इम्प्रूव माउन्टेजेस शूट कृमि पालन रेक्स	22500	12000
4.	अ. 1750 वर्गफीट -250 स्व. समूह ब. 1050 वर्गफीट -150 स्व. समूह	10000	5000
5.	प्लास्टिक ककून हार्वेस्टर २ पुशर आयरन फ्रेम	500	500
	योग	40000	20000

सिंचाई सुविधा :-

क्र.	कार्य विवरण	कीमत (रू. में)	
		1 एकड़	1 हेक्टेयर
1.	अ. सिंचाई स्त्रोत विकास जैसे तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, सरफेस टेंक	10000	30000
	ब. इलेक्ट्रिक पम्पसेट/डीजल पम्पसेट	15000	20000
2.	स्प्रिंकलर सिंचाई	20000	40000
3.	ड्रिप सिंचाई सिस्टम	20000	50000

चाकी बगीचा, चाकी गृह निर्माण एवं चाकी कृमि पालन उपकरण सहायता योजना :-

क्र.	इकाई लागत	केन्द्रांश 25 प्रतिशत	राज्यांश 25 प्रतिशत	हितग्राही अंश 25 प्रतिशत
1	345000	86250	86250	172500

चाकी कृमिपालन गृह :-

क्र.	विवरण	5000 स्व. समूह प्रति वेच	2500 स्व. समूह प्रति वेच
1.	चाकी कृमिपालन गृह	130000	75000
2.	चाकी कृमिपालन उपकरण	215000	129200

चाकी उपकरण :-

क्र.	विवरण	5000 स्व. समूह		2500 स्व. समूह	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्लास्टिक ट्रे	400	120000	200	60000
2.	कृमि पालन स्टेण्ड एचडीपी पाईप के	4	40000	2	20000
3.	इन्क्यूवेशन फ्रेम	100	4000	50	2000
4.	लीफ चापिंग मशीन	1	22000	1	22000
5.	ह्यूमीडी फायर ओर हीटर	1	14000	1	14000
6.	पावर स्प्रेयर	1	6500	1	6500
7.	वेट एण्ड ड्राय बल्ब थर्मामीटर	1	500	1	500
8.	बेड क्लीनिंग नेट्स	400	8000	200	4000

Rearing House Sketch for Capacity : 5000 Dfls

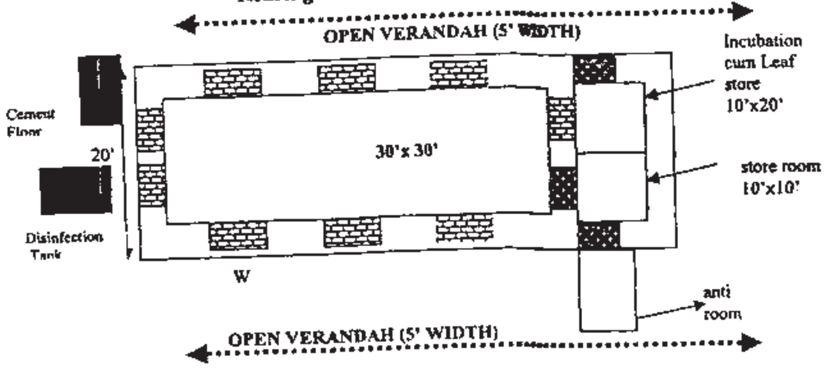

Rearing House Sketch for Capacity : 2500 Dfls

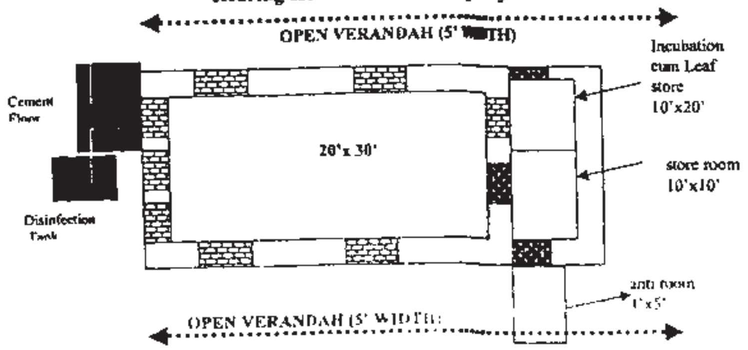

✓ शहतूत रेशम से औसत दरों पर संभावित आय एवं व्यय
एक एकड़ - एक हेक्टेयर (प्रजाति - वी -1)

वर्ष	इकाई	कोया उत्पादन	सकल आय	व्यय	शुद्ध आय
प्रथम वर्ष	एक एकड़ एक हेक्टेयर	150 कि.ग्रा. 375 कि. ग्रा.	15000 37500	14000 35000	1000 2500
द्वितीय वर्ष	एक एकड़ एक हेक्टेयर	300 कि.ग्रा. 750 कि. ग्रा.	30000 75000	15000 37500	15000 37500
तृतीय वर्ष	एक एकड़	500-800 कि. ग्रा.	50000 80000	15000 20000	35000 60000
	एक हेक्टेयर	1250 - 2000 कि. ग्रा.	125000 200000	37500 50000	87500 150000

रेशम कृमिपालन -

उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्राप्त करने के प्रमुख कारक

- कार्य योजना को समय बद्ध लागू करना चाहिए।
- मानक अनुरूप गोबर एवं रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए।
- कृमिपालन प्रारम्भ करने के पूर्व सामग्री/उपकरण का भण्डारण सुनिश्चित करना चाहिए।
- द्वि-स्तरीय डिस्इन्फेक्शन कृमिपालन प्रारम्भ करने के तीन दिवस पूर्व एवं फसल समाप्ति के तत्काल बाद कृमिपालन गृह, उपकरण तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं को विसंक्रामित करना आवश्यक है।

  प्रथम स्तर - 2 प्रतिशत ब्लीचिंग पावडर तथा चूने के घोल से

  द्वितीय स्तर - 2.5 प्रतिशत सेनीटेक से
- मानक अनुरूप कृमियों को समय पर पत्ती खिलाएँ तथा स्पेसिंग बढ़ाये।
- कृमियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नियमित 10 कृमियों का वजन लेना चाहिए।
- मानक अनुरूप तापक्रम, आद्रता नियमन एवं हवा का आवागमन सुनिश्चित करना चाहिए।
- माउन्टिंग के लिए कृमियों को उचित वातावरण तथा मध्यम प्रकाश की व्यवस्था करना चाहिए।

विसंक्रमण अथवा डिस्इन्फेक्शन का प्रभावी तरीका

डिस्इन्फेक्शन घोल की आवश्यकता का आकलन

- यदि कृमिपालन गृह की ऊंचाई 10 फीट है तो एक वर्गफीट क्षेत्र के लिए 154 मि. ली. घोल लगेगा।
- यदि कृमिपालन गृह का क्षेत्रफल 325 वर्ग फीट है तो -

  325 x 154 = 50050 मि.ली. या 50.05 लीटर डिस्इन्फेक्शन घोल की आवश्यकता होगी।

डिस्इन्फेक्शन घोल

2 प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर एवं 0.3 प्रतिशत बुझा हुआ चूना का घोल तैयार करने में आवश्यक सामग्री निम्नानुसार है -

घोल की मात्रा लीटर में	ब्लीचिंग पावडर की मात्रा ग्राम में	बुझा हुआ चूना ग्राम में	पानी लीटर में
1 लीटर	20 ग्राम	3 ग्राम	10 लीटर
20 लीटर	400 ग्राम	60 ग्राम	20 लीटर
50 लीटर	1000 ग्राम	150 ग्राम	50 लीटर

2.5 प्रतिशत सेनीटेक एवं 0.5 प्रतिशत बुझा हुआ चूना का घोल तैयार करना

घोल की मात्रा मात्रा	सेनीटेक की मात्रा	एक्टीवेटर	बुझा हुआ चूना	पानी लीटर में
1 लीटर	25 मि.ली.	2.5 ग्राम	5 ग्राम	975 मिली.
20 लीटर	500 मि.ली.	50 ग्राम	100 ग्रांम	19.5 मिली.
50 लीटर	1250 मि.ली.	125 ग्राम	250 ग्राम	48.75 मिली

रेशम योजनाएँ :-

शहतूत कृषि अपनाने के लिए एक एकड़/ एक हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु प्रारम्भिक खर्च -

क्र.	कार्य विवरण	लागत (रू. में)		लागत पूर्ति (रू. में)			
				कृषक द्वारा		शासकीय सहायता	
		1 एकड़	1 हेक्टेयर	1 एकड़	1 हेक्टेयर	1 एकड़	1 हेक्टेयर
1	शहतूत पौधे की कीमत (सिंचित क्षेत्र) (पौधे के रूप में)	5450	13625	-	-	5450	13625
2	शहतूत पौध रोपण रख रखाव प्रथम वर्ष	14000	35000	14000	35000	-	-
3	कृमिपालन भवन ※	100000	150000	50000	75000	50000	75000
4	कृमिपालन उपकरण	20000	30000	5000	10000	30000	30000
5	फैंसिंग	10000	25000	10000	25000	-	-
	योग -	**149450**	**251362**	**79000**	**145000**	**70450**	**118625**
6	सिंचाई सुविधा ※	20000	50000	5000	12500	15000	37500

※ 1. भवन दूसरे वर्ष में बना सकते हैं।

※ 2. आवश्यकता अनुसार कृषक ड्रिप सिंचाई को अपना सकते हैं।

कृमि पालन गृह निर्माण हेतु सहायता :-

क्र.	क्षमता	शहतूती क्षेत्र	कृमिपालन गृह का क्षेत्रफल वर्ग फीट में	इकाई लागत
1.	**250 स्व. समूह**	**1 एकड़ से अधिक**	1000	150000
2.	**150 स्व. समूह**	**1 एकड़ तक**	600	100000
3.	**50 स्व. समूह**	**0.50 एकड़**	225	50000

1. कृमि पालन गृह निवास गृह से दूर होना चाहिए।
2. तीन स्तरीय वेन्टिलेटर सुविधा होना चाहिए।

Rearing House Sketch for Capacity : 250 Dfls

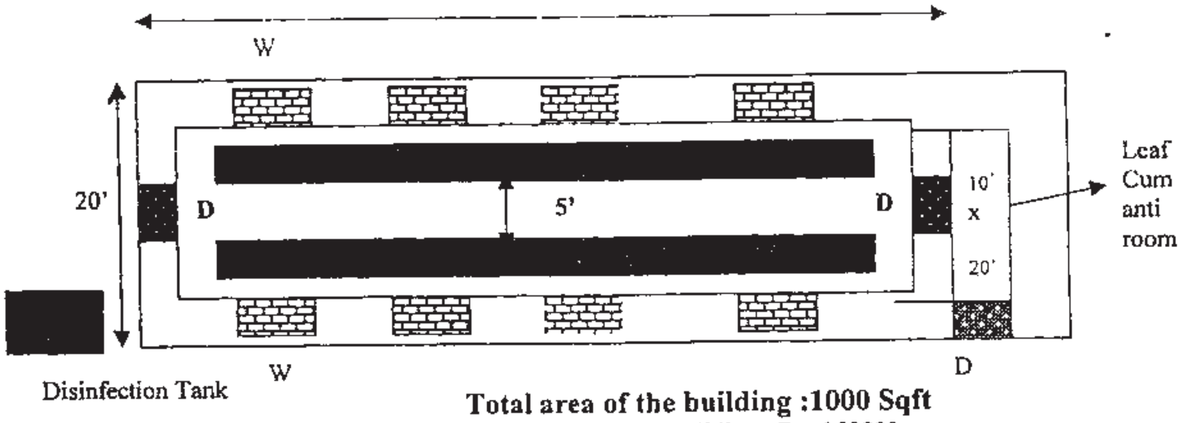

Total area of the building :1000 Sqft

Approximate Cost of building : Rs- 150000

Rearing House Sketch for Capacity : 150 Dfls

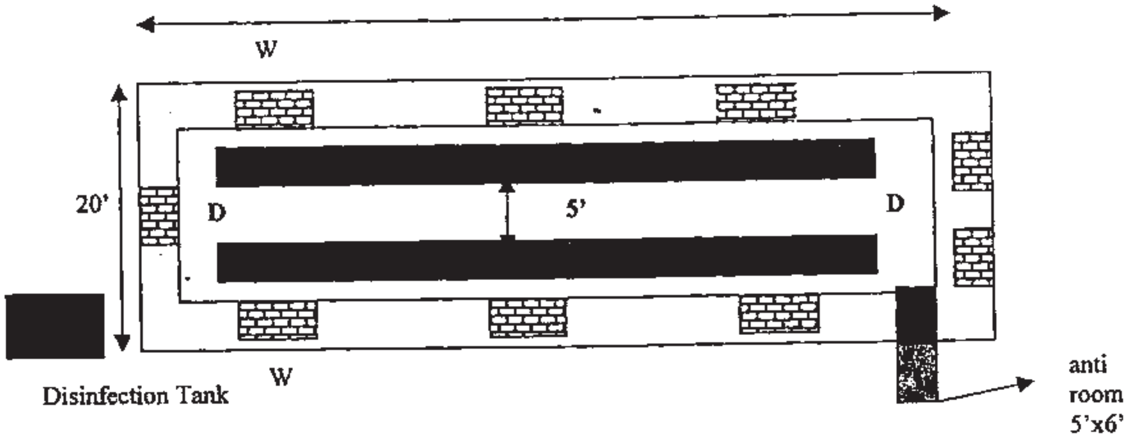

Total area of the building :600 Sqft

Approximate Cost of building : Rs- 100000

Rearing House Sketch for Capacity : 50 Dfls

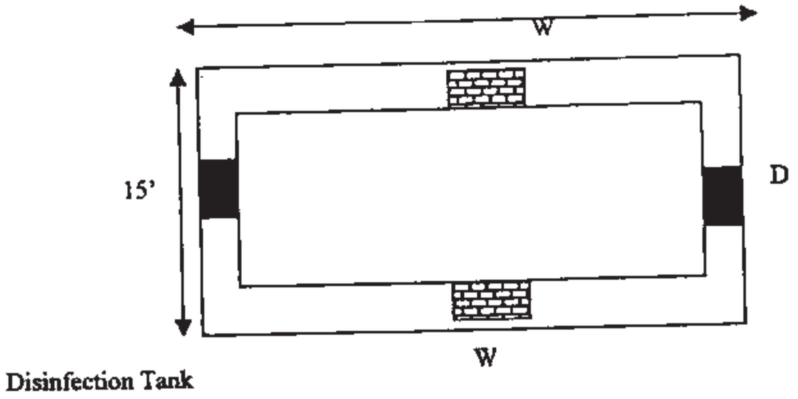

Total area of the building :225 Sqft

Approximate Cost of building : Rs- 50000

डिस्इन्फेक्शन व बेड डिस्इन्फेक्शन का उपयोग करते समय क्या करें और क्या न करें ?

क्र.	क्या करें	क्या न करें
१	डिस्इन्फेक्शन कृमिपालन गृह व उपकरणों का प्रत्येक फसल पर करना चाहिए।	रेशम कृमिपालन, कृमिपालन गृह तथा उपकरण का डिस्इन्फेक्शन बगैर न करें।
२	हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्इन्फेक्टेन्ट का उपयोग करना चाहिए।	पुराने तथा मियादी दिनांक समाप्त होने वाले डिस्इन्फेक्टेन्ट का उपयोग न करें।
३	डिस्इन्फेक्टेन्ट के रूप में बुझा हुआ चूना का प्रयोग करें।	बिना बुझे चूने का प्रयोग न करें।
४	डिस्इन्फेक्टेन्ट का ताजा घोल ही उपयोग करें।	खुले हुए या पुराने तैयार घोल का उपयोग न करें।
५	डिस्इन्फेक्शन हमेशा दोपहर में करें जब तापक्रम अधिक हो।	डिस्इन्फेक्शन प्रातः व रात में न करें जब तापक्रम कम हो।
६	डिस्इन्फेक्शन के लिए पावर स्प्रेयर का उपयोग करें।	डिस्इन्फेक्शन मग आदि से न करें।
७	डिस्इन्फेक्शन निर्धारित मात्रा में तथा सान्द्रता वाला व शेड्यूल अनुसार करें।	जब कृमि मोल्ट में जा रहे हों या मोल्ट में हो तो वहीं जब रेक्स में पत्ती हो तो भी डिस्इन्फेक्टेन्ट न डालें।
८	एक समान डस्टिंग करने के लिए डस्टर का उपयोग करें।	डिस्इन्फेक्टेन्ट को खुले में न छोड़े।
९	डिस्इन्फेक्टेन्ट सावधानी पूर्वक रखें।	डिस्इन्फेक्टेन्ट बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
१०	बेड डिस्इन्फेक्टेन्ट का उपयोग करने के ३० मिनिट बाद ही पत्ती देवें।	बेड डिस्इन्फेक्टेन्ट का उपयोग करने के पश्चात बेड को ढंके नहीं तथा तत्काल पत्ती न देवें।

[illegible]करण क्षेत्र की योजनाएँ :-

प्रमाणित रेशम धागाकरण मशीन स्थापना हेतु सहायता :-

क्र.	विवरण	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	योग
1	10 बेसिन	10.00 लाख	5.00	2.50	2.50	10.00
2	20 बेसिन	17.00 लाख	8.50	4.25	4.25	17.00

विस्तृत विवरण

क्र.	विवरण	मात्रा	
		10 बेसिन	20 बेसिन
1	इलेक्ट्रिक हाट एअर ड्रायर 50 किलो क्षमता अथवा 50 किलो क्षमता की उष्णाकोठी	1	2
2	ककून शार्टिंग टेबल	1	1
3	सरकुलर प्रेसराइड कुकिंग मशीन	1	
4	दो पैन टबिल	1	8
5	10 बेसिन मल्टी एण्ड रीलिंग मशीन (10 सिरे प्रति बेसिन)	1	2
6	स्माल रील चेम्बर	1	1
7	10 बिन्डोक्लोज टाइप री रिलिंग मशीन	1	1
8	स्टीम जनरेटिंग सिस्टम 100 कि.ग्रा. स्टीम आउट पुट वाटर साफटनर प्लांट के साथ	1	1
1	जनरेटर 5 कि.वाट	1	1
10	एप्रो वेट एवं डीनियर स्केल	1 सेट	1 सेट

निजी क्षेत्र में शहतूती रेशम उद्योग अपनाने हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र – 01

आवेदक अपना नवीन फोटो चस्पा कर विस्तार प्रभारी से अभिप्रमाणित करवाये

प्रति,

जिला अधिकारी रेशम
होशंगाबाद (म0प्र0)

विषयः– निजी क्षेत्र में शहतूती रेशम उद्योग अपनाने हेतु आवेदन पत्र ।

मै अपनी निजी भूमि में शहतूत पौधरोपण कर रेशम योजना को अपनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ इस हेतु मेरी जानकारी निम्नानुसार है:–

1.

आवेदक का नाम	

पिता/पति का नाम	

उम्र	वर्ष	जाति	अजा/अजजा/सामा.

जो लागू हो, उसे टिक करें

ग्राम		तहसील	

शैक्षणिक योग्यता	

2.

उपलब्ध भूमि का विवरण–	क. कुल रकबा	एकड़
	ख. खसरा क्रमांक	एकड़

3.

शहतूत पौधरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण–	क. आवेदित रकबा	एकड़
	ख. खसरा क्रमांक	एकड़

(पाँच सालाना खसरा व नक्शा की चालू वर्ष की चिन्हित नकल सलंग्न करें)

4. रेशम हेतु प्रस्तावित भूमि में वर्तमान फसलों का विवरण (प्रति एकड़ के आधार पर जानकारी दी जावे)

मौसम	फसल का नाम	वार्षिक उत्पादन	वार्षिक आय	वार्षिक व्यय	शुद्ध आय
खरीफ					
रबी					

5.

परिवार का विवरण	क. कुल सदस्य संख्या..............	ख. कार्यकारी सदस्य............

6.

खेती संबंधी स्थाई श्रमिक संख्या	

(हाली, चौकीदार, सिंचाई श्रमिक)

7.

सिंचाई स्त्रोत– (कुंआ/ नदी/ टयूबवेल/ तालाब/ नहर)	

8.

वर्ष में कब तक व कितना पानी उपलब्ध रहता है ?	

(रबी, खरीफ तक पर्याप्त है अथवा नहीं)

9.

विद्युत कनेक्शन (कृषि कार्य हेतु)	संख्या	लोड हार्सपावर

10.

अन्य कृषि यंत्रों की जानकारी–	यंत्र का नाम	संख्या	क्षमता
	ट्रेक्टर		
	बैलजोड़ी		
	मोटर/इंजन		

11.

कुल पारिवारिक कृषि आय (वार्षिक)	

12. अन्य व्यवसायों का ब्यौरा–

कार्य का नाम	विवरण	आय

(कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य– डेयरी/ दुकान/ पोल्ट्री फार्म इत्यादि)

13. शहतूती रेशम योजना अपनाने के लिए किये जाने वाले अनुबंध हेतु मैं सहमत हूँ।

14.

पत्र व्यवहार का पता	
दूरभाष क्रमांक कोड सहित	
मोबाईल क्रमांक	
ई–मेल एड्रेस	

रेशम विस्तार कार्यालय में आवक क्रमांक ....
दिनांक.................

कृषक के हस्ताक्षर

विस्तार प्रभारी के हस्ताक्षर एवं सील.